राई में रियल पेंट फैक्ट्री में आग लगने से कई मज़दूरों की दर्दनाक मृत्यु पर तथ्यान्वेषी टीम की रिपोर्ट

...

हरियाणा के सोनीपत के राई औद्योगिक क्षेत्र में रियेल पेंट फैक्ट्री में आग लगने से कई मज़दूरों की दर्दनाक मृत्यु हो गयी।सरकारी सूत्रों के मुताबिक मरने वालों की संख्या 4 बतायी गयी है। इस कारखाने में अग्निकाण्ड का जायजा लेने के लिये इंक़लाबी मज़दूर केंद्र व नागरिक अखबार के प्रतिनिधि, जन संघर्ष मंच ,हरियाणा , मज़दूर पत्रिका व ग्रामीण मज़दूर यूनियन ,बिहार के प्रतिनिधियों की एक तथ्यान्वेषी टीम दिनांक 20-3-18 को सोनीपत के राई औद्योगिक क्षेत्र पहुंची।उक्त संगठन मासा(मज़दूर अधिकार संघर्ष अभियान) के घटक संगठन भी हैं। टीम द्वारा फैक्ट्री का मुआयना एवम घटनास्थल के पास की फैक्ट्रियों में काम करने वाले मज़दूरों से बातचीत कर निम्न रिपोर्ट तैयार की गई।

राई औद्योगिक क्षेत्र हरियाणा के सोनीपत जिले में स्थित है। यह दिल्लीI और सोनीपत के बीच दिल्ली (ISBT कश्मीरी गेट) से क़रीब 47 किलोमीटर की दूरी पर जी.टी.रोड पर स्थित है। जिस फैक्ट्री में आग लगी वह राई औद्योगिक क्षेत्र के प्लाट नंबर 291,292 व293 में स्थित है।इस फैक्ट्री में गाड़ियों का पेंट बनता था। 20 मार्च को तथ्यान्वेषी टीम जब घटनास्थल पर पहुंची तो फैक्ट्री में से तब भी धुआं उठ रहा था।

वहां फैक्ट्री के सामने कुछ मज़दूर खड़े थे जो आसपास की फैक्टरियों में काम करते थे। और पास ही में कुर्सी डाले तीन पुलिसकर्मी व पंजाब केसरी के एक पत्रकार व खुफिया विभाग के लोग भी मौजूद थे। मज़दूरों से बात करने पर पता चला कि फैक्ट्री में आग 17 -18 मार्च की रात को लगभग ढाई बजे लगी। फैक्ट्री में पेंट ,थिनर बनता था जो अति ज्वलनशील होता है। फैक्टरी में भारी मात्रा में तैयार पेंट,थिनर व साल्वेंट रखा हुआ था । फैक्टरी में 34 मज़दूर काम करते थे ।आग लगते वक्त फैक्ट्री में कितने मज़दूर काम कर रहे थे इसकी सही सही जानकारी नहीं मिल सकी ।आस पास के मज़दूरों के अनुसार 5 लोगों की मृत्यु हो चुकी है जबकि पुलिस और खुफिया विभाग वाला 4 लोगों की मौत की बात कह रहे थे। मज़दूरों ने बताया कि 16 मज़दूरों ने फैक्ट्री की तीसरी मंजिल से कूदकर अपनी जान बचाई ।इनमें से कई झुलस गए और एक महिला मज़दूर की रीढ़ की हड्डी टूट गयी। बाकी मज़दूरों की स्थिति भी गंभीर है। इन्हें इलाज के लिए पी .जी .आई .रोहतक व खानपुर कलां भेजा गया है।

हमारे सामने फैक्ट्री का दरवाजा खुला हुआ था। दरवाजे के गेट की टीन गर्मी से पिघलकर लटक गई थीं। अंदर पेन्ट के डिब्बों का ढेर दिखाई दे रहा था। मज़दूरों ने बताया कि एक मज़दूर का जला शव एक बड़े पेंट के डिब्बे से चिपका हुआ मिला तो एक मज़दूर का जला हुआ कंकाल सीढ़ियों के पास से बरामद हुआ। दिल्ली के बवाना की तरह यहां भी गेट के ऊपर लोहे के ग्रिल की जाली थी। फैक्ट्री का एक ही गेट था जो बन्द रहता था ।अति ज्वलनशील पदार्थों का प्रयोग व निर्माण होने के बावजूद फैक्ट्री में एक ही गेट था। फैक्ट्री एक तरह की जेल थी जिसमे मज़दूरों से एक तरह से बन्धुआ मज़दूरी करवाई जा रही थी वह भी उनकी जान को गंभीर संकट या जोखिम में डालकर।बेसमेंट में केमिकल रखने का बड़ा 15 हजार लीटर क्षमता का टेंक था।

फैक्ट्री तीन मंजिला थी जिसमें मज़दूर व उनके परिवार भी रहते थे। उत्पादन दो मंजिल तक होता था।दूसरी मंजिल पर 5 मजदूर रहते थे। तीसरी मंजिल पर भी कमरे बने थे जिसमें 16 लोग रहते थे। इन्हीं में से एक कमरे में रहने वाली एक महिला अपने बच्चे को सीने से चिपकाई जल कर मर गयी।एक मज़दूर के मलवे में अभी भी दबे होने की आशंका है। आग लगने और सुरक्षा मानकों का खुला उल्लंघन साफ दिखाई दे रहा था । नियमानुसार फैक्ट्री पलाट की 40% जगह आगे व पीछे खाली होनी चाहिए परन्तु यह जगह लोहे की मोटी चद्दरों से शैड बनाकर ढकी थी ।ऐसा ही आसपास की अन्य फैक्टरियों में

दिख रहा था ।फैक्ट्री छतों पर जनरेटर व कंप्रेसर दिखाई दे रहे थे जो कभी भी दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। मुनाफे के अर्थशास्त्र में मानवीय जीवन का क्या मूल्य होता है यहां स्पष्ट दिखायी दे रहा था।

राई औद्योगिक क्षेत्र 1995 -1996 में अस्तित्व में आया था। उस समय यहां 1200-1500 रुपये मज़दूरी होती थी। मालिकान व प्रबन्धन द्वारा स्थानीय लोगों को भरती नहीं किया जाता है।ज्यादातर मज़दूर बिहार व उत्तर प्रदेश से हैं। राई औद्योगिक क्षेत्र में लघु उद्योग की इकाइयां है। यहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सबसे कम मज़दूरी मिलती है । पुरुष मज़दूरों को 8 घंटे के 6 हज़ार व महिला मज़दूरों को 4.5 हज़ार रुपये ही तनख्वाह मिलती है जबकि हरियाणा सरकार की नवीनतम घोषित न्यूनतम मजदूरी अकुशल मज़दूर के लिए 9600 ,अर्ध कुशल के लिए 10286, कुशल के7ज लिए 11429 व उच्च कुशल के लिए 12900 रुपये के करीब है।

मज़दूरों ने बताया कि हेल्पर 12 घण्टे काम करने के बाद 9-10 हज़ार रूपये कमा पाते हैं।मज़दूरों ने बताया कि इलाके में केवल 20 प्रतिशत फैक्टरियों में ही ई.एस.आई.की सुविधा उपलब्ध है।इलाके में किसी फैक्ट्री में यूनियन नहीं है। वैसे भी केंद्र सरकार जिन कथित श्रम सुधारों द्वारा श्रम कानूनों को खत्म करने की साज़िश रच रही है उन्हें हरियाणा सहित कई भाजपा शासित राज्य सरकारों ने पहले ही पूंजीपतियों के हित में लागू कर दिया है। इस तरह हरियाणा में पूजीपतियों को मज़दूरों का किसी भी हद तक जाकर शोषण करने की छूट मिली हुई है। उनको न श्रम कानूनों की परवाह है न शासन का डर। मज़दूर आंदोलन या मज़दूरों का एक संयुक्त प्रतिरोध ही स्थिति में कोई सुधार ला सकता है।

पुलिस कर्मियों ने जिनमें एक सब इंपेक्टर थे घटना के बारे में पूछे जाने पर कोई बात करने से हमें मना कर दिया।इतना ही पता चला कि मालिक कोई गुलशन माटा नाम के व्यक्ति हैं जो फरार चल रहे हैं। मालिक गुलशन माटा,उसके बेटे अभिषेक माटा ,मैनेजर मीनू तथा 3 सुपरवाइजर पर लापरवाही के चलते गैरइरादतन हत्या का मुकदमा 304-A लगाया गया है। मज़दूरों पर आए दिन एक से बढ़कर एक- हत्या, गैंगस्टर व राजद्रोह ,कठोर कारावास - जैसे मुकदमे लगाने वाले पुलिस प्रशासन के लोग मालिकों व उनके कारिन्दों के प्रति इतने उदार क्यों हो जाते है !

फिलहाल राज्य सरकार ने मृतकों के लिए 5 लाख व घायलों के लिए 1 लाख रूपये की घोषणा की हैं।लेकिन जो मज़दूर पूरी जिन्दगी के लिए अपाहिज हो गए उन्हें एक लाख के मुआवजे से क्या फर्क पड़ेगा।

22मार्च को रोहतक से एक साथी के हवाले से समाचार आया है कि जो 8 घायल व झुलसे हुए मजदूर पी.जी.आई. में उपचाराधीन हैं उनकी सरकार व प्रशासन सुध नहीं ले रहे हैं। सरकार की ओर से घायलों का इलाज करवाने की हवाई घोषणा मात्र की गई है । गम्भीर रूप से घायल एक मज़दूर को पी.जी.आई. रोहतक से दिल्ली के सफ़दरजंग अस्पताल के लिए रैफर कर दिया गया है।

राई औद्योगिक क्षेत्र में कारखानों की स्थिति व काम की परिस्थितियों को देखकर हर कोई यही कहेगा कि ये मौतें महज दुर्घटनाएं नहीं बल्कि मुनाफे के लालच के मद्देनज़र जान बूझकर की गई हत्याएं हैं।

तथ्यान्वेषी टीम में नागरिक अखबार व इमके से साथी नगेन्द्र ,जन संघर्ष मंच हरियाणा से साथी सोमनाथ व साथी मेहर सिंह तथा मज़दूर पत्रिका से साथी रविशंकर शामिल थे।